तीन बालकों को बालश्रम से कराया मुक्त

- एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग (एएचटी) थाने की पुलिस टीम ने चलाया जागरूकता अभियान
- पुलिस टीम ने दो बालकों को बाल कल्याण समिति के समक्ष किया प्रस्तुत

जासं • श्रावस्ती: आपरेशन रक्षा एवं बालश्रम मुक्त अभियान के तहत शुक्रवार को एएचटी (एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग) थाने की पुलिस टीम ने जागरुकता अभियान चलाया। इस दौरान तीन बच्चे बालश्रम करते पाए गए। इन्हें बालश्रम से मुक्त कराया गया। इनमें दो बालकों को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत भी किया गया।

एएचटी थाने के प्रभारी निरीक्षक लाल साहब सिंह व उपनिरीक्षक सतीश कुमार, आरक्षी अमोल कुमार, महिला आरक्षी अर्चना पांडेय व गरिमा सिंह ने भिनगा नगर के पटेल तिराहे से इंडिया पोस्ट आफिस भिनगा तक सघन निरीक्षण किया। इस दौरान एक 14 वर्ष से अधिक आयु के किशोर व 14 वर्ष से कम आयु के दो बालक कार्यरत पाए जाने पर तत्काल बालश्रम से मुक्त कराया।

इसके बाद पटेल तिराहे से खैरी मोड़ तक विभिन्न दुकानों व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच की। इस दौरान प्रतिष्ठान संचालकों को बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी दी। प्रतिष्ठानों पर बाल श्रम कराना दंडनीय अपराध है विषयक जागरूकता स्टीकर लगाया गया। व्यापारियों को बालश्रम के सामाजिक, शैक्षिक व कानूनी दुष्परिणामों के संबंध में जागरूक करते हुए बच्चों के शिक्षा एवं संरक्षण के अधिकारों के प्रति संवेदनशील बनने के लिए प्रेरित किया। खैरी मोड़ स्थित एक प्रतिष्ठान से 14 वर्ष से कम आयु के एक अन्य बालक को भी बालश्रम से मुक्त कराया गया। कुल तीन बच्चों का चिह्नित किया गया। इसमें दो बालकों को बालश्रम से मुक्त कराकर नियमानुसार बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के समक्ष प्रस्तुत किया गया। संबंधित प्रकरणों में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

बालश्रम मुक्त अभियान के तहत भिनगा में प्रतिष्ठान पर जांच करतीं एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थाने की पुलिस टीम • जागरण